न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :- 206/2023
GCMS NO. 2023/773

औंकार मल पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादी

– ब ना म –

1. सत्यवीर पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सागरमल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1. श्री विजयपाल यादव श्री सुरेन्द्र यादव	अभिभाषक	वादी
2. श्री जगदेव सिंह यादव श्री सुरेन्द्र सिंह पिठौला	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या–2

-: निर्णय :- दिनांक :- 18.03.2025

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 08.07.2024 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या–2 ... कर वाके ग्राम मोई भारू पटवार हल्का भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं ... भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 4.75 हेक्टेयर में से वादी व प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 02.09.2024 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। रहन यदि कोई हो तो संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे।

2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./वि.प्र./2024/2234 दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

3. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024) का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

4. अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादी के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादी का वाद अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

5. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–2 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादी संख्या–2 का प्रतिदावा अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा दिनांक 22.08.2024 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा दिनांक 22.08.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अनुसार वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या–2 अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

8. अतः वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या–2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

9. निर्णय आज दिनांक **18.03.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकदमे बाबत

(आदेश 20 नियम 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' – 1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

ओंकार मल पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मोई गांव तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादी

— ब ना म —

1. सत्यवीर पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मोई गांव तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सागरमल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मोई गांव तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955

मुकदमा नम्बर :– 206/2023

GCMS NO. 2023/773

निर्णय दिनांक :– 18.03.2025

वादी की ओर से श्री विजयपाल यादव, श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से श्री जगदेव सिंह यादव, श्री सुरेन्द्र सिंह पिठौला की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.03.2025 को सुमन देवी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

" वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या–2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–[illegible] [illegible] द्वारा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक [illegible] का [illegible] करवायेंगे। "

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 18.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी गुढ़ा
उपखण्ड अधिकारी गुढ़ा
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ा, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:32 IST
Reason: SelfAttested